209

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर – दिसम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 1995 (अग्रहायण 22, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (कृषि), मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम, 1980 (क्रमांक 18 सन् 1980) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. प्रेमसाय सिंह, राज्यमंत्री मछली पालन, मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम अधिनियम, 1979 (क्रमांक 6 सन् 1979) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री रामकिशोर शुक्ल, बच्चन नायक, गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, रीवा जिले के हनुमना में पदस्थ एक रेंजर द्वारा गंभीर अनियमितताएं किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, श्री गोपीकृष्ण नेमा, श्री रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम रतवा के निकट पुलिस द्वारा डकैतों से नकली मुठभेड़ बताकर तीन व्यक्तियों की हत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री लोकेन्द्र सिंह, सदस्य, सतना जिले के पंजीयन कार्यालय में अनियमितताओं से शासन को हो रही क्षति की ओर राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री रामेश्वर अखण्ड, गौरीशंकर बिसेन, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, उज्जैन जिले के खाचरोद थाने के उप निरीक्षक द्वारा एक व्यक्ति के साथ अप्राकृतिक कृत्य किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति/स्वीकृति

(1) श्री बालेन्दु शुक्ल, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री शंकरप्रताप सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है".

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम मौथी के पास गड़बोरी नदी पर स्टापडेम-कम-रपटा बनाये जाने ;
(ख) ग्राम पलेरा स्थित सिंचाई तालाब का लटबन्ध बनाये जाने ; तथा
(ग) ग्राम कपासी व मवई के बीच बिलखनी नदी पर स्टापडेम-कम-रपटा बनाये जाने ;

(2) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के -

(क) चन्दन पिपलिया-प्रतापगढ़ मार्ग का डामरीकरण कराने तथा तेंदोनी नदी पर पुल बनाये जाने ;
(ख) उदयपुरा स्थित महाविद्यालय में बी.काम. एवं एम.ए. की कक्षायें प्रारंभ कराये जाने ; तथा
(ग) उदयपुरा स्थित महाविद्यालय में प्राचार्य की नियुक्ति एवं महाविद्यालय भवन का निर्माण कराये जाने ;

(3) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिला मुख्यालय से हरपालपुर पहुंचने वाली मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों को ट्रेन समय अनुसार चलाये जाने ;

(4) श्री मथुरा प्रसाद पटेल, सदस्य, सतना जिले के -

(क) डेल्हा-करइया मार्ग को अमरपाटन-उमरिया मुख्य मार्ग से जोड़े जाने ;
(ख) ग्राम बठिया से चौरहटा तक सड़क निर्माण कराये जाने ;
(ग) ग्राम मदनपुरा से भदूरा तक सड़क निर्माण कराये जाने ;
(घ) ग्राम नादन से मैहर तक सड़क निर्माण कराये जाने ; तथा
(ड.) ग्राम भेड़ा से बरेठी तक सड़क निर्माण कराये जाने ;

(5) श्री कमल पटेल, सदस्य, होशंगाबाद जिले के हरदा नगर स्थित -

(क) शासकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर दर्जा दिलाये जाने ;
(ख) शासकीय महाविद्यालय के भवन की मरम्मत कराये जाने ; तथा
(ग) शासकीय महाविद्यालय हेतु 12 अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराये जाने ;

(6) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के -

(क) ग्राम खन्नाध एवं नवगवा के आदिवासी पिछड़ा वर्ग मुहल्ले में विद्युत व्यवस्था किये जाने ;
(ख) ग्राम विट्ठहला के आदिवासी बैगा मुहल्ले में विद्युत व्यवस्था किये जाने ;
(ग) ग्राम विजौरी से शहडोल-रीवा मुख्य मार्ग तक सड़क बनाये जाने ; तथा
(घ) ग्राम जमुई में पेयजल व्यवस्था किये जाने ,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. वर्ष 1988-89 के आधिक्यों के विवरण का उपस्थापन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 1988-89 के आधिक्यों के विवरण का उपस्थापन करेंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. प्रेमसाय सिंह, राज्यमंत्री संसदीय कार्य, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 39 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

8. संविहित संकल्प

श्री अशोक राव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यतः संसद ने मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) अधिनियमित किया है, जिसमें चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये मानव अंगों के निकाले जाने, उनके संग्रहण तथा प्रतिरोपण को विनियमित करने और मानव अंगों में व्यवसायीकरण को रोकने के लिये उपबंध किये गये है ;

और चूंकि यह वांछनीय है कि उक्त अधिनियम को मध्यप्रदेश राज्य में लागू किया जाए ;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह विधान सभा संकल्प करती है कि मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) को मध्यप्रदेश राज्य में अंगीकार किया जाए".

निर्धारित समय

9. प्रतिवेदनों पर चर्चा

(1) शहरी क्षेत्र में भूमि अन्तरणों की जांच समिति मध्यप्रदेश का :-

(क) प्रतिवेदन क्रमांक न.सु.न्या.1 नगर सुधार न्यास, नीमच ;
(ख) प्रतिवेदन क्रमांक-1 नजूल जबलपुर ;
(ग) प्रतिवेदन न.सु.न्या-2 नगर सुधार न्यास, मंदसौर ; तथा
(घ) प्रतिवेदन क्रमांक वि.प्रा.-1 जबलपुर विकास प्राधिकरण -

पर चर्चा (क्रमशः).

1 घन्टा (2) मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त का ग्यारहवां और बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 पर चर्चा.

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 12 दिसम्बर, 1995